अध्याय - 4

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने परिवहन आयुक्त (प.आ.) एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (क्षे.प.अ.) के कार्यालयों में मोटर वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 9.48 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों से हमारे द्वारा बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में वाहनों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 13.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा प्रभावी कम्प्यूटरीकरण बताया गया ।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के सम्बंध में बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने 24,404 प्रकरणों में ₹ 121.01 करोड़ के राजस्व से सन्निहित कर का अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि इंगित किया था। इसमें से विभाग/शासन ने 17,972 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 98.07 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 5,530 प्रकरणों में ₹ 12.59 करोड़ वसूल किये। वर्ष 2009–10 को छोड़कर स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 5.29 से 18.23 के मध्य रहा जो बहुत कम था।
वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में, हमने मोटर वाहन कर से सम्बंधित 17 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 2,31,335 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 13.04 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रेक्षणों का पता चला । विभाग ने 642 प्रकरणों में ₹ 2.88 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान इंगित किया गया था । वर्ष 2011–12 के दौरान 108 प्रकरणों में ₹ 16.51 लाख की राशि वसूल की गई थी ।

हमारा निष्कर्ष	विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया । इसलिए आन्तरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाये जाने के साथ साथ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रणाली में कमियों का पता लगाया जाकर हमारे द्वारा संसूचित चूकों से भविष्य में बचा जा सके। विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये कर एवं शास्ति की अप्राप्त राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय – 4
वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से अपर मुख्य सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है । वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति के आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता है जिसकी सहायता के लिए क्षेत्रीय स्तर पर तीन उप परिवहन आयुक्त (उ.प.आ.), 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं । वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत किया जाता है :

- मोटर यान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 तथा
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1991

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान वाहनों पर करों से वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि से सम्बंधित कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाईन ग्राफ में दर्शाया गया हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	775.00	702.62	(-)72.38	(-) 9.34	12,017.64	5.85
2008–09	800.00	772.56	(-)27.44	(-) 3.43	13,613.50	5.68
2009–10	900.00	919.01	(+) 19.01	(+) 2.11	17,272.77	5.32
2010–11	1,050.00	1,198.38	(+) 148.38	(+) 14.13	21,419.33	5.59
2011–12	1,285.00	1,357.12	(+) 72.12	(+) 5.61	26,973.44	5.03

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

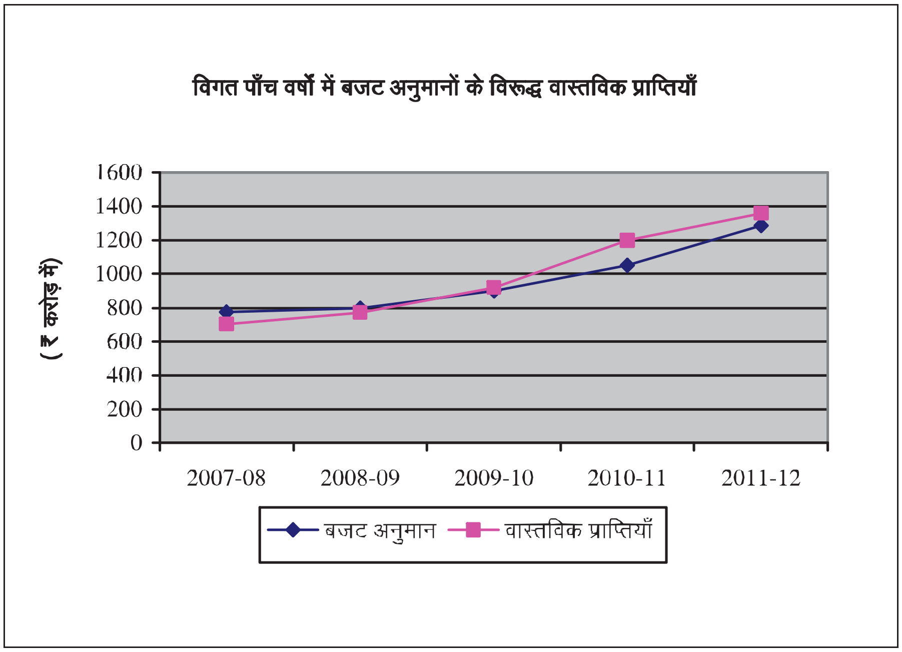

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 9.34 से लेकर (+) 14.13 तक रहा ।

वर्ष 2011–12 में वाहनों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 13.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा प्रभावी कम्प्यूटरीकरण बताया गया ।

4.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 24,404 प्रकरणों में ₹ 121.01 करोड़ राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 17,972 प्रकरणों में अन्तर्निहित राशि ₹ 98.07 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा ₹ 12.59 करोड़ वसूल किये (30 नवम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार)। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा–परीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि पर वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006–07	18	1,938	20.05	1,938	20.05	394	1.06	5.29
2007–08	19	7,125	49.18	7,125	49.18	1,253	2.89	5.88
2008–09	28	5,962	21.88	4,851	19.09	1,422	3.48	18.23
2009–10	27	5,534	18.44	2,209	5.19	1,927	4.37	84.20
2010–11	26	3,845	11.46	1,849	4.56	534	0.79	17.32
योग		**24,404**	**121.01**	**17,972**	**98.07**	**5,530**	**12.59**	

वर्ष 2009–10 को छोड़कर विगत पांच वर्षों मे स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है। हमने इस मुद्दे को विभाग प्रमुख एवं शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है (जनवरी 2013) ।

4.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने 37 कंडिकाओं में ₹ 68.77 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 50.50 करोड़ की 21 कंडिकाओं में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा ₹ 10.45 करोड़ वसूल किये। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.12 तक वसूल की गई राशि
2006–07	4	5.39	1	5.05	1	1.96
2007–08	11	21.18	6	19.86	6	2.89
2008–09	7	20.22	6	18.45	6	3.38
2009–10	8	11.49	5	3.37	5	1.43
2010–11	7	10.49	3	3.77	3	0.79
योग	**37**	**68.77**	**21**	**50.50**	**21**	**10.45**

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिये।

4.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान वाहनों पर कर की प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किये गये ऐसे व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009–10	919.01	28.42	3.09	2.93
2010–11	1198.38	32.90	2.75	3.07
2011–12	1357.12	40.40	2.97	3.71

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

हम यह मानते हैं कि वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी। विभाग को आगामी वर्षों में भी इस प्रवृत्ति को बनाये रखने को सुनिश्चित करना चाहिये।

4.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित की गई अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुदेश जारी करने के उद्देश्य से विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई है । वर्ष 2011–12 के दौरान, 50 जिलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध केवल चार जिलों में आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित की गई थी । विभाग ने अनुरोध के बावजूद भी कमी के कारणों से अवगत नहीं कराया (जनवरी 2013)। हमने देखा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा ने वर्ष 2011–12 के दौरान चार जिलों में मासिक एवं त्रैमासिक कर के अभिलेखों की संवीक्षा की थी तथा सुधारात्मक उपायों हेतु अनुदेश जारी किये थे। जिलों द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का आगामी विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित 17[1] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 2,31,335 प्रकरणों में ₹ 13.04 करोड़ के कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमिततायें पाई गई, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	1,243	6.40
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,275	4.19
3.	अन्य प्रेक्षण	2,28,817	2.45
	योग	**2,31,335**	**13.04**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 642 प्रकरणों में ₹ 2.88 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 108 प्रकरणों में ₹ 16.51 लाख की राशि वसूल की गई ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों जिनमें ₹ 9.48 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

[1] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.) – भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा तथा सागर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ.) – छतरपुर, खरगोन तथा सतना एवं जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) – बालाघाट, बड़वानी, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मंडला तथा नरसिंहपुर।

4.7 वाहनों पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार किया जायेगा । यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की भुगतान न की गई राशि पर चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा जो कर की राशि के दुगुने से अनधिक होगी । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कराधान प्राधिकारी कर की वसूली पर निगरानी रखने हेतु एक मांग एवं वसूली पंजी संधारित करेगा। वह निश्चित समयावधि पर पंजी की समीक्षा कर चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र भी जारी करेगा।

हमने (नवम्बर 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) मांग एवं वसूली पंजी, अनुज्ञापत्र पंजी एवं वाहन समर्पण पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी तथा कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस (17 कार्यालयों में, जहाँ डाटाबेस उपलब्ध कराया गया) की समीक्षा के दौरान पाया कि अप्रैल 2006 एवं मार्च 2011 के मध्य की अवधि से सम्बंधित नमूना जाँच किये गये 15,000 प्रकरणों में से 1,652 वाहनों पर कर की राशि ₹ 4.03 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था । अभिलेख में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जा रहा था अथवा उन्हें किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित कर दिया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायें गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.13 करोड़ की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹ 7.16 करोड़ के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई :

(₹ करोड़में)

क्र. सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणी वाहनों की संख्या	अन्तर्निहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	योग (5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	17[2]	मालवाहन 1,053	4/06 से 3/11	1.87	1.48	3.35

[2] क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.)– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा एवं सागर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) – छतरपुर, खरगोन एवं सतना तथा जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) – बालाघाट, बड़वानी, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मण्डला एवं नरसिंहपुर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	17[3]	आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये लोकसेवा वाहन 292	4/06 से 3/11	1.02	0.80	1.82
3	14[4]	नियमित अनुज्ञा पत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहन 130	12/06 से 3/11	0.80	0.56	1.36
4	13[5]	मैक्सी कैब 177	4/06 से 3/11	0.34	0.29	0.63
	योग	**1,652**		**4.03**	**3.13**	**7.16**

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) आठ कराधान प्राधिकारियों[6] ने बताया (अप्रैल एवं सितम्बर 2012 के मध्य) कि 56 प्रकरणों में ₹ 13.88 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी एवं 514 प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे । अन्य प्रकरणों के सम्बंध में शेष कराधान प्राधिकारियों ने बताया (जनवरी एवं मार्च 2012 के मध्य) कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी/वसूली की जायेगी।

हमने मार्च एवं जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[3] क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा एवं सागर, अ.क्षे.प.का.– छतरपुर, खरगौन एवं सतना तथा जि.प.का. – बालाघाट, बड़वानी, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मण्डला एवं नरसिंहपुर।

[4] क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना एवं रीवा, अ.क्षे.प.का– छतरपुर, खरगौन एवं सतना तथा जि.प.का.– बालाघाट, बड़वानी, हरदा, मण्डला एवं नरसिंहपुर।

[5] क्षे.प.का. – ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर एवं मुरैना, अ.क्षे.प.का. – छतरपुर, खरगौन एवं सतना तथा जि.प.का. – बड़वानी, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मण्डला एवं नरसिंहपुर।

[6] क्षे.प.का.– मुरैना एवं सागर, अ.क्षे.प.का.– छतरपुर, खरगौन एवं सतना तथा जि.प.का.– हरदा, मण्डला एवं नरसिंहपुर।

4.8 मोटर वाहनों पर कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार किया जायेगा । लोकसेवा/निजी सेवावाहनों पर आरोपण योग्य कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जायेगी। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी ।

हमने (दिसम्बर 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) तेरह जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[7] में मांग व वसूली पंजी, अनुज्ञा पत्र जमा पंजी एवं वाहन समर्पण पंजी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी की समीक्षा के दौरान पाया कि 267 मोटर वाहनों का जनवरी 2006 एवं मार्च 2011 के मध्य की अवधि से सम्बंधित वाहन कर, कर की गलत दर लागू किए जाने के कारण वाहन स्वामियों द्वारा कम जमा किया गया था । कराधान प्राधिकारियों द्वारा गलत दर के अनुप्रयोग को संसूचित करने में विफलता के परिणामस्वरूप वाहन कर ₹ 21.36 लाख की कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, असंदत्त कर की राशि पर आरोपणीय ₹ 14.31 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) पांच कराधान प्राधिकारियों[8] ने बताया (मई एवं सितम्बर 2012 के मध्य) कि 52 प्रकरणों में राशि ₹ 2.63 लाख वसूल की जा चुकी थी एवं 38 प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी किये गये थे/ वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है। अन्य प्रकरणों में शेष कराधान प्राधिकारियों ने बताया (जनवरी एवं मार्च 2012 के मध्य) कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त कार्यवाई की जायेगी/वसूली की जायेगी।

हमने मार्च एवं जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

---

[7] क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर एवं रीवा, अ.क्षे.प.का.– खरगोन एवं सतना तथा जि.प.का.– बालाघाट, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मण्डला एवं नरसिंहपुर।

[8] अ.क्षे.प.का. – खरगोन एवं सतना तथा जि.प.का. – हरदा, मण्डला एवं नरसिंहपुर।

4.9 व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 34 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा व्यापार प्रमाण पत्र दिये जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र – 16 में उसके साथ उपरोक्त अधिनियम के नियम – 81 में उल्लिखित फीस संलग्न कर प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवसायी द्वारा बेचे गये प्रत्येक वाहन पर फीस प्रभारणीय है।

हमनें (जनवरी और मार्च 2012 के मध्य) छः जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[9] में व्यापार फीस पंजी तथा व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों (जहाँ उपलब्ध थीं) एवं कराधान प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में पाया कि अप्रैल 2008 और मार्च 2011 के मध्य विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 2,28,682 वाहन पंजीकृत किये गये थे, फिर भी व्यापारियों द्वारा या तो वांछित व्यापार फीस जमा नहीं की गई थी या निर्धारित राशि से कम जमा की गई थी। कराधान प्राधिकारी बेचे गये उन वाहनों की वास्तविक संख्या भी सुनिश्चित नहीं कर सके जिनके विरूद्ध व्यापार प्रमाण पत्र जारी किये गये और व्यापार फीस की सही राशि वसूल नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.82 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा (जनवरी और मार्च 2012 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, ग्वालियर ने बताया (जनवरी 2012) कि व्यवसाइयों से व्यापार कर का संग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार किया जाता है जबकि कराधान प्राधिकारियों, भोपाल, रीवा तथा बालाघाट ने बताया (फरवरी और मार्च 2012 के मध्य) कि पंजीकृत व्यवसाइयों ने केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और अधिनियम के अनुसार सात वाहनों के समूह या व्यवसाई के कब्जे में उनके गुणक के लिए देय उपयुक्त व्यापार फीस जमा की थी। उत्तर में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत व्यापार फीस की वसूली न होने के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने व्यवसाइयों द्वारा किये गये भुगतानों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कोई कार्यप्रणाली भी निर्धारित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार फीस की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई।

हमने अप्रैल एवं जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया: उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

---

9 क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा तथा जि.प.का.–बालाघाट एवं दमोह।

शासन व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु वाहनों का विक्रय तथा उन पर देय व्यापार फीस को दर्शाने वाली एक आविधक विवरणी, जिसे वाहनों के पंजीयन के अभिलेखों से प्रति सत्यापित किया जा सके, निर्धारित किये जाने पर विचार कर सकता है।

4.10 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं । कर अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित दर से देय है। यदि, देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो अधिनियम में उल्लिखित चार प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी ।

हमने जिला परिवहन कार्यालय, नरसिंहपुर में मांग एवं वसूली पंजी, अनुज्ञा पत्र जमा पंजी, वाहन सर्मपण पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस की समीक्षा के दौरान पाया (दिसम्बर 2011) कि दो प्रचालकों ने अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर प्रचालित तीन लोक सेवा वाहनों के सम्बंध में अप्रैल 2009 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य की अवधि से सम्बंधित वाहन कर का भुगतान नहीं किया था । इन वाहनों को अप्रचालित घोषित नहीं किया गया तथा वाहन स्वामियों द्वारा कथित अनुज्ञापत्रों को अभ्यर्पित भी नहीं किया गया। कराधान प्राधिकारी अधिनियम के अनुसार शास्ति सहित कर की वसूली करने के लिए इन वाहनों का पता लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.28 लाख के कर की प्राप्ति नहीं हुई । इसके अतिरिक्त, ₹ 6.77 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2011), कराधान प्राधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं।

हमने मार्च एवं जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।